

प्रथम अपील संख्या-UPICM/A/2026/60002

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग,

कक्ष संख्या-410, चतुर्थ तल, आर0टी0आई0 भवन।

समक्ष: तेजस्कर पाण्डेय, प्रथम अपीलीय अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग।

श्री योगी एम0पी0सिंह

.....अपीलकर्ता

बनाम

मुमताज अहमद, जनसूचनाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग

.....विपक्षी


आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 08.12.2025 को जनसूचनाधिकारी से सूचनाओं की मांगी की गयी, जिसके क्रम में जनसूचनाधिकारी श्री मुमताज अहमद द्वारा सूचनाएं/जानकारी आनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा चुकी है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि जनसूचनाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र के क्रम में वांछित सूचनाएं/जानकारी दिनांक 23.12.2025 को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

अपीलकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचनाएं तथा विपक्षी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन से पाया गया कि सूचनाएं उसी क्रम में हैं, जिस क्रम में अपीलकर्ता द्वारा सूचनाओं की मांगी की गयी है।


चूंकि जनसूचनाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/जानकारी पूर्ण है। ऐसे में प्रकरण को लंबित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।


(तेजस्कर पाण्डेय)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
12.01.2026

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :

1. जनसूचना अधिकारी, मुमताज अहमद, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।


(तेजस्कर पाण्डेय)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
12.01.2026

नोट- यदि अपीलकर्ता उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(3) के तहत उक्त आदेश की प्राप्ति से 45 दिन के भीतर द्वितीय अपील उ0प्र0 सूचना आयोग में दायर कर सकता है। जिसका पता निम्नवत है-

उ0प्र0 सूचना आयोग,

7/7 आर0टी0आई0 भवन,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010